

**मानक शर्तें**


वन अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन की पत्र सं0 731/14-3-881/82 दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित

- 1- भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हो और वह पूर्ण ढी भीति उचित/आवृत्त वन भूमि बनो रहेगी।
- 2- प्रस्तावनामि का उपयोग केवल कृषि प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
- 3- याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग/संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
- 4- भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं।
- 5- हस्तान्तरी विभाग प्रमुख कर्मचारी अधिकारी अथवा टेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की शक्ति नहीं पहुँचायेगी और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित जमाबंदीकारों द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान प्राप्त विभाग को करना होगा।
- 6- भूमि का शीर्षक याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित जमाबंदीकारों की देखरेख में कपायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये आदि की भी देखभाल करेगा।
- 7- हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को नियुक्त हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आशय नहीं होगी।
- 8- बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण तथा सम्पदा प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही किया जाना सम्भव होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन जन्तुओं को स्वस्थ स्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
- 9- सिंचाई विभाग/जल विभाग द्वारा वन विभाग की नगरिकों/पीछे के वन विभाग के कर्मचारियों को निशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
- 10- याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करें अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि एवं बिना किसी प्रकार के प्रतिफल का भुगतान किये वन विभाग को वापस हो जायेगा। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि एवं उस पर निर्मित भवन आदि (आर्कैटेक्टिक), स्वतः विना किसी इतिहास का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगा।
- 11- सड़क निर्माण में इस्तेमाल पर "एलाइमिनेट" शब्द होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग को परामर्श सांठनिकि द्वारा प्राथमिक विचार जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अनियन्ता सांठनिकि के अतिरिक्त मुख्य अनियन्ता पर्यतीय क्षेत्र पीछे की सम्बन्धित पर सं0-808 सी दिनांक 15.02.82 में निहित आदेशों का पालन भी सांठनिकि निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि अन्य मार्ग बनाना अथवा वन मार्ग को नगुली गोरखदर कर पक्का करना होगा व शर्तें ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण भी आवश्यक है।
- 12- वन भूमि का मुख्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र को आधार पर आकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
- 13- वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उचित प्रवेश वन निगम अथवा अन्य कोई उचित प्रक्रिया जो वन विभाग अधिनियम के अन्तर्गत है, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पर्याप्त आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
- 14- हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों में इतिहास में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समस्त वृक्षरोपण का भुगतान याचक एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परिवर्षण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30° से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पालन निषिद्ध है। इसी धारा के पेड़ों का पालन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पालन का निरीक्षण वन संचालक स्तर पर ही हो सकेगा।
- 15- वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में अथवा सम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्बों को ढींच करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि इस पर भी पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित वन संचालक द्वारा निर्धारित की जायेगी। जिस पर सम्बन्धित वन संचालक का अनुमोदन आवश्यक है।
- 16- यदि नहर आदि निर्माण में नू-कारण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
- 17- उपरिनिर्दिष्ट मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकार में कोई अन्य शर्त लगायी जाती है तो ये याचक को मान्य होगी।
- 18- वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण सभी किया जाय जब उक्त शर्तों का पकड़ाई से पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से अग्रवापन प्राप्त हो जाय।

*(Signature)*  
**Executive Engineer**  
 Construction Div-I, P.W.D.  
 Unnao

**प्रभागीय निदेशक**  
 सामाजिक याचिका वन प्रशासन

Georeference Map of Proposed Site of Proposed Road From Safipur-Miyaganj  
(Nani Kotharia) to Siddhnath Nai Basti, Construction Division-I, PWD Unnao (U.P)



GPS Coordinates of Proposed Road


- A: 80°26'24.14"E, 26°46'42.68"N
- B: 80°26'26.11"E, 26°46'49.49"N
- C: 80°26'27.62"E, 26°46'54.36"N
- D: 80°26'28.9"E, 26°46'58.37"N
- E: 80°26'32.41"E, 26°47'6.1"N
- E: 80°26'36.34"E, 26°47'13.41"N

Legend

- GPS Coordinate Location
- ▨ Proposed 6.3M Wide Road Through Reserve Forest Land
- ▨ Proposed 6.3M Wide Road Through Non-Reserve Land

*(Signature)*  
Executive Engineer  
Construction Div-1, P.W.D.  
Unnao

प्रभागीय निर्देशक  
सामाजिक कृषिशील वन प्रसा  
उन्नाव



मलबा उत्सर्जन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित सप्रीपुर-नियामत मार्ग (नानी कोटरिया) से सिद्धनाथ नई बस्ती लिंक मार्ग के निर्माण में मौके पर किसी प्रकार का मलबा उत्पन्न नहीं होगा।

जिससे गैर वन भूमि पर किये जाने वाले मलबा निस्तारण को लिए भू-स्वामित्व के सहमति पत्र की आवश्यकता नहीं है।

प्रमाणित निदेशक  
सामाजिक कानिची वन प्रदा  
रतना

  
(एम०पी० चौरसिया)  
अधिशारी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-प्रथम  
लोक, निर्माण विभाग,  
Construction Division  
D/o-1, P.W.D.  
Unnao

**Timeline Details**

Present status of file at each stage of file.

**A. General Details**

- (i). Proposal No.: FP/UP/ROAD/10018/2015
- (ii). Name of Project for which Forest land is required: Construction of Indraprastha Forest (New Kalyan) in Midhakh (a) Forest Land
- (iii). Short name/s of the proposed and Project/Scheme for which the forest land is required: Construction of Indraprastha Forest (New Kalyan) in Midhakh (a) Forest Land
- (iv). State / Union Territory:
- (v). Category of the Project: Road
- (vi). Stage of forest land proposed to be cleared: Green
- (vii). Area of forest land proposed to be cleared in ha: 11.1198

**B. Timeline**

Proposal No.	Submitted by User Agency	Query for Rectification of Error by Nodal Office	Rectification of Error by User Agency	Query by Nodal Office for submitting Hard Copies	Uploading the V.A. of copies of receipt received from DFO & D	Revised	Check	Nodal Office	State Government	Regional Office	Stage 1 Approval or
FP/UP/ROAD/10018/2015	2015/05/15	2015/05/15	2015/05/15	2015/05/15	2015/05/15	Social Forestry Division (Date: 10/05/2015)	Lockdown Check (Date: 20/05/2015)	State Forest Division (Date: 20/05/2015)			

NOTE:- All present proposal is pending at CF due to ETS raised by Social Office.

[Print page](#)

C.S.F. में नवीकरण हेतु

W  
DFO

**Timeline Details**

Principal created date at each stage of flow.

**A. General Details**

- (i) Proposal No.: FP/UP/TRANS/684/2014
- (ii) Name of Project for which Forest Land is required: ST. JESU'S HOSPITAL, PONDICHERRY
- (iii) Year of initiation of the proposal and Project/Scheme for which the forest land is required: (Give year/month/week if relevant) August 2014 - independent under Section 73 of Indian Forest Act
- (iv) State / Union Territory
- (v) Category of the Project: Transportation Line
- (vi) Stage of forest land proposed to be cleared: 1. Clear
- (vii) Area of forest land proposed for clearance: 6.25 Hectare

**B. Timeline**

Proposal No.	Submitted by User Agency	Query to Director/Secretary of Forests by Nodal Officer	Receipt/Intimation of Receipt by User Agency	Query to Nodal Officer for submission of Request for Clearance	Uploading of S.A.I of copies received from DFO & M	Division	Circle	Nodal Officer	State Government	Regional Office	Stage Approval
FP/UP/TRANS/684/2014	08/08/2014	08/08/2014 14/11/2014	09/12/2014 20/02/2015	20/11/2014	22/11/2014	South Eastern Circle Tamil Nadu 08/01/2015	Lakshmi Circle Tamil Nadu 10/01/2015	Other Forests 20/01/2015			

NOTE: - All project proposal is pending at CE due to EDS raised by Nodal Officer.

Print page

C.C.F महोदय को अनुरोध है कि प्रस्ताविका को मंजूरी दे दें।

✓  
प्रति